भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
आतारांकित प्रश्न संख्या 414
दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ

स्वामित्व योजना से लाभान्वित होने वाले जन

†414. श्री तेजस्वी सूर्य:
डॉ मन्ना लाल रावत:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री योगेन्द्र चंदोलिया:
श्री विजय बघेल:
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
डॉ भोला सिंह:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री बलभद्र माझी:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री आलोक शर्मा:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि:

(क) स्वामित्व योजना से संस्थागत ऋण तक पहुंच प्राप्त करके लाभान्वित होने वाले ग्रामीण संपत्ति स्वामियों कि राज्यवार संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है और यह योजना ग्रामीण संपत्ति मालिकों के लिए किस प्रकार संस्थागत ऋण सुविधा में सुधार करेगी;

(ख) क्या उक्त योजना को अभी तक पूरी तरह से अपनाया नहीं गया है और यदि हां, तो इस योजना के पूरी तरह से कार्यान्वयन किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं तथा पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, झारखंड, दिल्ली और मेघालय सहित राजवार इस योजना का पूरी तरह से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) ड्रोन-मैप किए गए संपत्ति रिकॉर्ड की सटीकता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए तकनीकी और ड्रोन-मैपिंग उपाय क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का संपत्ति लेन-देन को सुव्यवस्थित करने के लिए स्वामित्व रिकॉर्ड को अन्य वित्तीय और विधिक प्रणालियों के साथ एकीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) 28 जनवरी, 2025 तक 1.59 लाख गांवों के लिए 2.38 करोड़ से अधिक स्वामित्व संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। ड्रोन सर्वेक्षण में शामिल गांवों की संख्या और तैयार किए गए संपत्ति कार्डों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में उपलब्ध है। स्वामित्व योजना के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संपत्ति कार्ड, संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे संस्थागत और बैंक ऋण तक पहुँच संभव होती है और ग्रामीण संपत्ति मालिक, अपनी संपत्ति पर ऋण ले सकते हैं।

(ख) 29 जनवरी, 2025 तक, 31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्वामित्व योजना में शामिल हो गए हैं। हालाँकि, कुछ राज्यों ने विभिन्न कारणों से योजना लागू नहीं की है, जैसे पहले से मौजूद रिकॉर्ड, विरासत डेटा का अस्तित्व, या कुछ राज्यों में पहले से ही लागू किए जा रहे समान कार्यक्रम आदि। सिक्किम और तमिलनाडु ने केवल कुछ गांवों के साथ पायलट चरणों में भाग लिया है, लेकिन पहले से मौजूद रिकॉर्ड के कारण इसे जारी नहीं रखने का विकल्प चुना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड ने अभी तक योजना कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पश्चिम बंगाल और केरल ने ग्रामीण अधिकार रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में आवासीय संपत्तियों के अधिकारों के पहले से मौजूद रिकॉर्ड की रिपोर्ट की है। ओडिशा और असम पहले से मौजूद रिकॉर्ड के कारण सीमित संख्या में गांवों में सर्वेक्षण कर रहे हैं। झारखंड में यह योजना फिलहाल रोक दी गई है। दिल्ली ने 31 गांवों में योजना लागू की है और संपत्ति कार्ड अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

पंचायती राज मंत्रालय योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ नियमित रूप से संपर्क कर रहा है और कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करने और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने के लिए हितधारकों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से इसकी समीक्षा कर रहा है।

(ग) स्वामित्व योजना गांव के आबादी क्षेत्रों के अधिकारों के रिकॉर्ड के सर्वेक्षण और तैयारी और संपत्ति पार्सल के 1:500 पैमाने के उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्र तैयार करने के लिए उन्नत ड्रोन और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) तकनीक का उपयोग करती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने भूमि राजस्व/या पंचायती राज नियमों/अधिनियमों के तहत अपने भूमि रिकॉर्ड का प्रबंधन करते हैं। संपत्ति स्वामित्व डेटा और इन संपत्ति रिकॉर्ड का नियंत्रण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पास रहता है।

(घ) स्वामित्व योजना के तहत बनाए गए संपत्ति रिकॉर्ड और स्वामित्व डेटा का नियंत्रण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पास रहता है। कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इन अभिलेखों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए एकीकरण सुनिश्चित किया है:

(i) मध्य प्रदेश: बैंक भूलेख पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कार्ड पर शुल्क बना सकते हैं, जिससे ऋण वितरण में सुविधा होगी।

(ii) महाराष्ट्र: पंजीकरण विभाग के साथ एकीकरण से भूमि रिकॉर्ड अपडेट और बैंक ऋण के लिए शुल्क निर्माण में आसानी होगी।

इस तरह का एकीकरण संपत्ति लेनदेन को सुव्यवस्थित करता है, पहुंच और विश्वसनीयता में सुधार करता है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें डेटा सुरक्षा और स्थानीय नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए अपने संबंधित कानूनी ढांचे के भीतर इस तरह के एकीकरण का प्रबंधन करती हैं।

अनुलग्नक

ग्राम पंचायतों के लिए स्थानीय मौसम पूर्वानुमान' के संबंध में 04.02.2025 को उत्तरित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 414 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

ड्रोन सर्वेक्षण और तैयार किए गए संपत्ति कार्डों से कवर किए गए गांवों की संख्या का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अधिसूचित	ड्रोन उड़ाने वाले	संपत्ति कार्ड तैयार किए गए गांवों की संख्या	तैयार किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	186	186	141	7409
2	आंध्र प्रदेश*	13321	13280	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	5596	3399	0	0
4	असम	1095	946	0	0
5	छत्तीसगढ़	15791	15791	1200	67751
6	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	80	80	75	4397
7	दिल्ली	31	31	0	0
8	गोवा	410	410	410	672646
9	गुजरात	15052	13803	7199	1225716
10	हरियाणा	6260	6260	6260	2515646
11	हिमाचल प्रदेश	15196	13870	238	5395
12	जम्मू और कश्मीर	4431	4398	1006	39204
13	झारखण्ड	757	240	0	0
14	कर्नाटक	30715	16855	3838	1002776
15	केरल	1415	597	0	0
16	लद्दाख	230	230	148	15623
17	लक्षद्वीप द्वीप समूह	10	10	0	0
18	मध्य प्रदेश	43014	43014	33929	3994343
19	महाराष्ट्र	37819	37609	15708	2441286
20	मणिपुर	3856	209	0	0
21	मिजोरम	550	319	18	1754
22	ओडिशा	3054	2724	43	1500
23	पुडुचेरी	96	96	92	2801
24	पंजाब	12083	10498	178	24089
25	राजस्थान	36,352	35721	13,310	861986
26	सिक्किम	1	1	0	0

27	तमिलनाडु	3	3	0	0
28	तेलंगाना	5	5	0	0
29	त्रिपुरा**	893	19	893	571783
30	उत्तर प्रदेश	90573	90573	67408	10131232
31	उत्तराखंड	7441	7441	7441	278229
	कुल	**3,46,316**	**3,18,618**	**1,59,535**	**2,38,65,566**

****